IV ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में, प्रभावी ऋण वितरण सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेशन की पहुंच का विस्तार करना रिज़र्व बैंक के लिए एक प्राथमिकता बना हुआ है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों की समीक्षा और सह-उधार मॉडल की शुरुआत करने सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत चल रहे प्रयासों को तेज किया गया है। एमएसएमई की विशेषज्ञ समिति तथा कृषि ऋण की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष की उल्लेखनीय घटना थी। देश के सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की पहुंच का विस्तार करके और वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका को भी संशोधित करके वित्तीय साक्षरता की दिशा में प्रयास जारी हैं।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऋण वितरण तंत्र को मजबूत करने और समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य निर्धारित करने के पीछे रिज़र्व बैंक का वह अति महत्वपूर्ण दर्शन है जिसमें समाज के उन वर्गों को सक्षम बनाना है जो यद्यपि ऋण हेतु पात्र हैं पर पर्याप्त और समय पर ऋण के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थ हैं। वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) को जारी किए गए विभिन्न निर्देशों में सामंजस्य के उद्देश्य से वर्ष के दौरान पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई; इन दिशानिर्देशों को उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ मिलाया गया और समावेशी विकास पर सटीक ध्यान केंद्रित किया गया।

IV.2 भारत सरकार ने एमएसएमई के रूप में उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर के समग्र मानदंड का उपयोग करते हुए नई परिभाषा को अधिसूचित किया जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में ₹1 करोड़ से अधिक का निवेश न हो और टर्नओवर ₹ 5 करोड़ से अधिक न हो। किसी उद्यम को अब लघु उद्यम के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹ 10 करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से अधिक न हो। मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकरण के लिए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹ 50 करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर ₹250 करोड़ से अधिक न हो।

IV.3 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को परिचालन संबंधी अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए सह-उधार मॉडल (सीएलएम) नामक एक संशोधित योजना को शुरू किया गया जो 5 नवंबर 2020 से प्रभावी है। बैंकों की निधि की कम लगत तथा एनबीएफसी की व्यापक पहुंच के तुलनात्मक लाभों के मद्देनज़र, संशोधित योजना का प्राथमिक फोकस अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्रों के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार करना और अंतिम लाभार्थी को एक सस्ती कीमत पर निधि उपलब्ध कराना है।

IV.4 वित्तीय समावेशन को और अधिक योजनाबद्ध और संरचित दृष्टिकोण अपनाने हेतु बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करने की सलाह दी गई है। एफआईपी के तहत बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रगति मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक को सूचित की जाती है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) की सिफारिश के अनुरूप, पायलट सीएफएल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर पूरे देश में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया।

IV.5 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है। वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह संबंधी प्रदर्शन और वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना को खंड 3 में दिया गया है। अध्याय के अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IV.6 पिछले वर्ष *उत्कर्ष* के अंतर्गत विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) एवं बीसी रजिस्ट्री की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम की समीक्षा (*उत्कर्ष*) [पैरा IV.7];
- विशिष्ट लक्ष्य समूह के लिए ऑन लाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करना *(उत्कर्ष)* [पैरा IV.8];
- सीएफएल संबंधी प्रायोगिक परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण को पूर्ण करना *(उत्कर्ष)* [पैरा IV.9];
- "एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति" और "कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह" की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना *(उत्कर्ष)* [पैरा IV.10 - IV.11];
- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) के कार्यान्वयन की निगरानी करना [पैरा IV.12]; और
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा (पैरा IV.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

IV.7 2020-21 के दौरान, बीसी प्रमाणन कार्यक्रम, टू-टियर टीओटी कार्यक्रम, और बीसी रजिस्ट्री सरीखी बीसी मॉडल को मजबूत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंक अधिकारियों और बीसी के मध्य वर्चुअल मोड से एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया था। आवश्यकतानुसार, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के विश्लेषण का उपयोग पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार के लिए किया जाएगा।

IV.8 वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के इनपुट के आधार पर, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों (एएचजी), वरिष्ठ नागरिकों और किसान सरीखे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित किया है।

IV.9 नवंबर 2020 में शुरू किए जाने वाले सीएफएल पर पायलट परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव आकलन सर्वेक्षण को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधानों की वजह से नहीं किया जा सका। अब यह सर्वेक्षण सितंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा।

IV. 10 एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति ने 37 व्यापक सिफारिशें की थीं। रिज़र्व बैंक से संबंधित 21 सिफारिशों में से 11 पहले ही लागू हो चुकी हैं और कुछ पर विचार चल रहा है। जिन प्रमुख सिफारिशों को लागू किया गया था, उनमें ये शामिल हैं (i) वीडियो-आधारित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड, (ii) बैंकों के विनियामक खुदरा पोर्टफोलियो के लिए उच्चतम सीमा को ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 7.5 करोड़ करना; (iii) ग्रामीण एमएसएमई के लिए डिजिटल भुगतान और वाणिज्य प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति बुनियादी ढाँचा प्रदान करने हेतु भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का निर्माण; और (iv) सभी एनबीएफसी के लिए सह-उधार मॉडल।

IV.11 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) ने 29 सिफारिशें की थीं। रिज़र्व बैंक से संबंधित 12 सिफारिशों में से 10 पहले ही लागू हो चुकी हैं। इस वर्ष लागू की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं, (i) 2023-24 तक अगले तीन साल की अवधि में चरणबद्ध रूप से पीएसएल के तहत छोटे और सीमांत किसानों के उप-लक्ष्य को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 8 प्रतिशत बढ़ाकर 10 प्रतिशत

करना; (ii) जिन चिह्नित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है वहां क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्च भार प्रदान करना; (iii) पूर्णत: सहायक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को छोटे और सीमांत किसानों के उप-लक्ष्य के तहत ₹ 2 लाख तक के ऋण वर्गीकृत करना; (iv) बैंकों की ऋण देने की रणनीतियों की पहचान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) का अध्ययन करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यह अनिवार्य करना कि पीएसएल में कमी की स्थिति में वह ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में योगदान करे; (v) फसल की खेती के लिए वित्त के पैमाने की समीक्षा।

IV.12 एनसीएफई को 2020-25 की अवधि में एनएसएफई में निर्धारित सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की निगरानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) तत्वावधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) द्वारा की जाती है।

IV.13 पीएसएल पर संशोधित मास्टर दिशा-निर्देश 4 सितंबर 2020 को जारी किए गए थे। इन मास्टर निदेशों मे अन्य बातों के साथ-साथ सभी वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, एसएफबी, यूसीबी और एलएबी के लिए पीएसएल संबंधी दिशानिर्देश इस उद्देश्य से शामिल किए गए हैं जिससे कि विभिन्न अनुदेशों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.14 2020-21 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधारी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अंश 40.54 प्रतिशत था (दिसंबर 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार)। बैंक समूहों में, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 40 प्रतिशत के निर्धारित पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त करते रहे जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में मामूली कमी देखी गई (सारणी IV.1)। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एससीबी से यदि प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रहती है तो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार उन्हें नाबार्ड द्वारा स्थापित

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(₹ करोड़)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2019-20	23,14,242 (41.05)	12,72,745 (40.32)	1,67,095 (40.80)
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*	23,79,790 (40.98)	14,04,824 (39.89)	1,73,945 (39.85)

*: अनंतिम आंकड़े।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन पत्रक जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक है, के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/ एनएचबी/ सिडबी/ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) की अन्य निधियों में योगदान के लिए राशि आवंटित करने की सलाह दी जाती है।

IV.15 पीएसएलसी की कुल व्यापारिक मात्रा में पिछले वर्ष के 43.1 प्रतिशत की तुलना में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और इसने ₹ 5.89 लाख करोड़ के स्तर को छुआ। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में चार पीएसएलसी श्रेणियों में से पीएसएलसी-जनरल और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसानों के मामले में सबसे अधिक व्यापार देखा गया, जिनके लेनदेन की मात्रा क्रमश:₹2.26 लाख करोड़ और ₹ 1.98 लाख करोड़ रही।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा

IV.16 वर्ष के दौरान पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। समीक्षा के भाग के अनुसार, प्रति व्यक्ति पीएसएल क्रेडिट के आधार पर प्रोत्साहन और हतोत्साहित करने संबधी ढांचा को लागू करने हेतु जिलों के लिए रैंकिंग देने का निर्णय लिया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के अपेक्षाकृत कम प्रवाह वाले जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को उच्च भार (125 प्रतिशत) दिया जाएगा और तुलनात्मक रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के उच्च प्रवाह वाले जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए (90 प्रतिशत) का कम भार दिया जाएगा। (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना

1972 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) को औपचारिक रूप दिया गया था। 1974 में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को पहली बार ऋण देने के लक्ष्यों के बारे में सूचित किया गया था । तब से, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों का अंतर्निहित दर्शन समाज के ऐसे वर्गों को ऋण के प्रवाह की सुविधा प्रदान करना रहा है, जो यद्यपि ऋण लेने के पात्र हैं पर वे औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में असमर्थ हैं। शुरुआत से ही ये दिशानिर्देश निश्चित उद्देश्य / गतिविधि हेतु हुए हैं । बैंक के स्थान और ऋण देने की प्रथाओं को प्रभावित करते हुए समाज के ऐसे सभी वर्गों को ऋण की आसान पहुँच प्रदान करने के लिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण और 1990 में वित्तीय उदारीकरण की शुरुआत के बीच की अवधि में विनियमित किया गया था। निष्कर्षों से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन ने गरीबों तक बैंक ऋण निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बचत के अवसरों ने ग्रामीण गरीबी को पर्याप्त रूप से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (बर्गेस, पांडे और वोंग, 2005)। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह विभिन्न कारकों के कारण असमान था और देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में समानता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा 2019 में स्थापित ' कृषि ऋण की समीक्षा हेतु आंतरिक कार्य समूह' (अध्यक्ष: श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर) ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई थी।

समिति ने सिफारिश की कि पीएसएल दिशानिर्देशों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए ताकि कम सेवित क्षेत्रों में ऋण लेने में सुधार के लिए उपयुक्त उपायों को पेश करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके । तदनुसार, पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 2021 से बैंकों के लिए एक प्रोत्साहन फ्रेमवर्क शुरू किया गया। जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति पीएसएल ₹6,000 से कम) वहां वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण उच्च भार (125 प्रतिशत) दिया जाएगा, जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति पीएसएल ₹25,000 से अधिक) वहां वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण कम भार (90 प्रतिशत) दिया जाएगा। आरआरबी, यूसीबी, एलएबी और विदेशी बैंक [पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) सहित] को पीएसएल उपलब्धि में भार के समायोजन से छूट दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में उनके ऑपरेशन का क्षेत्र सीमित है / वे एक विशेष खंड की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

फ्रेमवर्क को संचालित करने के लिए, सभी जिलों को प्राथमिकता क्षेत्र को प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर रैंक किया गया है और यह तीन साल की अवधि अर्थात वर्ष 2023-24 तक के लिए वैध रहेगा और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रोत्साहन ढांचे का उद्देश्य बैंकों को उन जिलों में उच्च ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करना है, जो वर्तमान में ऋण की कम पैठ का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त ढांचे के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे को बैंकों द्वारा अपने कॉर्पोरेट नीति स्तर पर संज्ञान में लिया जाएगा और बैंकिंग प्रणाली प्रोत्साहन संरचना के माध्यम से वाणिज्यिक लाभ लेने में सक्षम होगी।

हालांकि, ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता कई वजहों से होती हैं और कम सेवित क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। स्थायी परिवर्तन के लिए कम सेवित क्षेत्रों में ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्चतर ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से साथ देने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

बर्गेस, आर, पांडे, आर और वोंग, ग्रेस (2005)। 'बैंकिंग फॉर पुअर : एवीडेंस फ्रॉम इंडिया', *जर्नल ऑफ दि यूरोपियन इकॉनोमिक एसोसिएशन*, खंड 3, अंक 2-3

IV.17 पीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद इनमें आए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नीचे दिए गए हैं :

- "छोटे और सीमांत किसानों" और "कमजोर वर्गों" के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
- स्टार्ट-अप्स के लिए बैंक वित्त (₹50 करोड़ तक); ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलरीकरण हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण; और कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करने के लिए देय ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत दिए जाने वाले वित्त के लिए पात्र नई श्रेणियों के रूप में शामिल किया गया।
- पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी उपज के लिए आश्वासित विपणन सहित कृषि कार्य करने वाले कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के लिए उच्च ऋण सीमा निर्दिष्ट की गई।

- स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे (*आयुष्मान भारत* सहित) के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई।
- इकाई स्तरीय व्यापार की संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा श्रेणी के तहत ऋण की उच्चतम सीमा को ₹ 15 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 30 करोड़ कर दिया गया।
- शिक्षा के लिए व्यक्तियों को दिया गया ₹ 20 लाख तक के ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के योग्य माना जाएगा।

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लिए सह-उधार

IV.18 5 नवंबर, 2020 को सह-उधार मॉडल (सीएलएम) पर परिपत्र जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य पीएसएल की सभी श्रेणियों के संबंध में सहयोगपूर्ण प्रयास में बैंकों और एनबीएफसी के तुलनात्मक लाभों का बेहतर लाभ उठाना है। बैंकों से निधि की कम लागत और एनबीएफसी की अधिक से अधिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए संशोधित योजना का प्राथमिक ध्यान बैंकों और एनबीएफसी के बीच तालमेल में सुधार करना है। इस योजना में अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार और किफायती मूल्य पर अंतिम लाभार्थी को धन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, पूर्ववर्ती योजना में बैंकों को केवल जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी -एनडी-एसआई) के साथ सह-उत्पत्ति की अनुमति थी पर इस संशोधित योजना में पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी [आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित] के साथ सह-उधारी की अनुमति दी गई है। जहां एनबीफसी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी बही में व्यक्तिगत ऋणों की न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखे, वहीं संशोधित मॉडल के तहत बैंकों को परिचालन संबंधी अधिक लचीलापन देते हुए यह अनुमति दी गई कि वे या तो समझौते की शर्तों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों को अपनी बही का हिस्सा बनाएं या अपनी बही में लेने से पहले उचित सावधानी बरतने के पश्चात अपने विवेक पर कुछ ऋणों को अस्वीकार कर सकते हैं। बैंक निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए अपने हिस्से के ऋण के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की स्थिति का दावा कर सकते हैं। बैंक और एनबीएफसी को सीएलएम में प्रवेश के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम लाभार्थी को कम से कम लागत पर धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

कृषि के लिए ऋण का प्रवाह

IV.19 भारत सरकार (जीओआई) हर साल वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य तय करती है। 2020-21 के दौरान, ₹ 15 लाख करोड़ के लक्ष्य के प्रति, बैंकों ने 31 दिसंबर 2020 तक 75.1 प्रतिशत (₹11.27 लाख करोड़) का लक्ष्य हासिल किया, जिसमें से वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों ने अपने लक्ष्य का क्रमश: 78.6 प्रतिशत, 74.2 प्रतिशत और 59.3 प्रतिशत हासिल किया है (सारणी IV.2)।

IV.20 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खेती और खपत, निवेश और बीमा सरीखी अन्य जरूरतों के लिए किसानों को

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		ग्रामीण सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-2020	9,72,000	10,61,215	2,02,500	1,49,694	1,75,500	1,62,857	13,50,000	13,73,766
2020-2021 (अप्रैल दिसंबर)*	10,81,978	8,50,543	2,25,946	1,33,976	1,92,076	1,42,603	15,00,000	11,27,121

*: अनंतिम आंकड़े। जहां कृषि ऋण हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरे वर्ष (अप्रैल 2020 - मार्च 2021) के लिए है वहीं हासिल लक्ष्य अप्रैल 2020 - दिसंबर 2020 तक की अवधि का दिया गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2019-20	241.50	4,23,587.80	46,555.80
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*	275.95	4,12,749.23	47,644.70

*: अनंतिम आंकड़े।
स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक।

पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने का जरिया है (सारणी IV.3)।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत संबंधी उपाय

IV.21 वर्तमान में, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के दायरे में 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, अर्थात, चक्रवात; सूखा; भूकंप; आग; बाढ़; सुनामी; ओला वृष्टि; भूस्खलन; हिमस्खलन; बादल फटना; कीट का हमला; और शीतलहर/पाला। तदनुसार, जहाँ इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन 33 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वहाँ रिज़र्व बैंक ने राहत प्रदान करने का दायित्व बैंकों को सौंपा है। बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ऋणों की पुनर्रचना/पुनर्निर्धारण और पात्र उधारकर्ताओं के सम्मुख आने वाली जरूरतों के अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देना शामिल है। 2020-21 के दौरान कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र नामक चार राज्यों ने प्राकृतिक आपदा / दंगे या गड़बड़ी की घोषणा की। मई 2020 में पश्चिम बंगाल में चक्रवात *अम्फन* ने व्यापक तबाही मचाई। मई 2020 में राजस्थान टिड्डी के जबरदस्त हमला हुआ था, जबकि जुलाई 2020 में यहां ओलावृष्टि हुई। कर्नाटक में सितंबर 2020 में बाढ़ के कारण फसल नुकसान हुआ, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अक्टूबर 2020 में सूखा पड़ा। बैंकों द्वारा 2020-21 के दौरान आपदा प्रभावितों को नए ऋण उपलब्ध कराए गए, जबकि उनके पिछले ऋणों को भी उसी अवधि के दौरान बैंकों द्वारा पुनर्गठित / पुनर्निर्धारित किया गया था (सारणी IV.4)।

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं हेतु राहत उपाय

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नया वित्त/पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2019-20	9.04	13,296	10.06	32,639
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*	1.40	2,164	10.20	8,560

*: अनंतिम आंकड़े।
स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)।

एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.22 एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना रिज़र्व बैंक और सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, द्वारा एमएसएमई को बकाया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण में दिसंबर 2020 में 8.9% प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 6.2 प्रतिशत) [सारणी IV.5]।

सारणी IV.5: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिसं-2019	328.93	7,04,278	23.81	6,35,933	3.07	2,08,134	355.82	15,48,344
दिसं-2020	394.48	7,63,109	23.20	6,52,292	5.32	2,70,924	423.00	16,86,325

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

वित्तीय समावेशन

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) : 2019-24

IV.23 एनएसएफआई:2019-24 दस्तावेज में कार्यनीति की अवधि में क्रियान्वित किए जाने वाले कई लक्ष्यों एवं कार्य योजनाओं को वर्णित किया है जिनमें से वित्तीय साक्षरता (निर्दिष्ट लक्षित अभिविन्यास सहित वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल का विकास) तथा उपभोक्ता संरक्षण (ग्राहक शिकायत का सुदृढ़ पोर्टल विकसित करना) नामक दो अनुशंसाओं को 2020-21 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है । राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने लक्षित समूहों के लिए ऑडियो-विज़ुअल सामग्री / पुस्तिकाओं के रूप में प्रासंगिक मॉड्यूल विकसित किए हैं । सुदृढ़ शिकायत निवारण पोर्टल के लिए, रिज़र्व बैंक ने शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) की शुरूआत की है जो शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और निवारण की स्थिति दर्शाने के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है । इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ग्राहक विवादों और डिजिटल भुगतान से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली भी शुरू की है ।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.24 वित्तीय समावेशन के लिए एक सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) बनाएं। आउटलेट्स की संख्या (शाखाएं और बीसी), मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गयी ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) के लेनदेन, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खाते और कारोबार प्रतिनिधि -सूचना और संचार प्रोद्योगिकी (बीसी -आईसीटी) प्रतिनिधि - सूचना और सांर तकनीकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से किए गए लेनदेन सरीखे मापदंडों पर बैंकों की उपलब्धियों को एफआईपी में शामिल किया जाता है । इन मापदंडों पर दिसंबर 2020 के अंत तक हुई प्रगति को सारणी IV.6 में दर्शाया गया है ।

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

ब्योरा	मार्च 2010	दिसंबर 2019	दिसंबर 2020$
1	2	3	4
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स- शाखाएं	33,378	54,481	55,073
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स>2000*-बीसी	8,390	1,28,980	8,51,272
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स<2000*-बीसी	25,784	3,83,864	3,85,537
गावों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स-बीसी	34,174	5,12,844	12,36,809^
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स- अन्य माध्यमों से	142	3,473	3,440
गावों में बैंकिंग आउटलेट्स- कुल	**67,694**	**5,70,798**	**12,95,322**
बीसी के जरिए समावेशित शहरी भूभाग$	447	5,51,327	3,24,345
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (संख्या लाख में)	600	2,558	2,891
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (राशि करोड़ में)	4,400	90,731	1,25,898
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (संख्या लाख में)	130	3,409	3,601
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (राशि करोड़ में)	1,100	62,095	77,163
बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	**735**	**5,967**	**6,492**
बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**1,52,826**	**2,03,061**
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	62	59
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	455	500
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	479	490
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	7,09,377	6,79,136
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	200	199
जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,84,918	1,73,968
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	22,500	35,183
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	6,06,589	8,28,795

*:गांव की जनसंख्या ^: बैंक द्वारा किए गए पुनर्वर्गीकरण के कारण संख्या में काफी वृद्धि हुई

#: वर्ष के दौरान लेनदेन । $: अनंतिम आंकड़े

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना

IV.25 प्रत्येक जिले में एक बैंक को निर्दिष्ट करते हुए उसे अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मार्च 2021 के अंत तक, देश के 730 जिलों में 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

5 किलोमीटर के दायरे में हर गाँव में/ पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के टोलों (हैमलेट) में वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच

IV.26 5 किलोमीटर के दायरे में हर गाँव में/ पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के टोलों (हैमलेट) में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना 2019-24 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। संबंधित राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी / यूटीएलबीसी) के संयोजक बैंकों द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2021 तक 22 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। पूरे देश भर में चिह्नित गाँवों / हैमलेटों में व्याप्ति का स्तर 99.87 प्रतिशत है।

वित्तीय साक्षरता

IV.27 स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री का विकास करना एनएसएफई : 2020-2025 के रणनीतिक लक्ष्यों में से एक है। अब तक 13 राज्य शैक्षिक बोर्डों ने अपने स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा मॉड्यूल को शामिल किया है। एनएसएफई कक्षा VI-X के स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा के एकीकरण के बारे में एनसीईआरटी के साथ बातचीत कर रहा है। एनसीईआरटी वित्तीय साक्षरता पर ई-लर्निंग संसाधन भी विकसित कर रहा है, जिसमें एनसीएफई विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सामग्री तैयार करने में योगदान देगा।

IV.28 100 ब्लॉक (आदिवासी ब्लॉक में 20 सीएफएल सहित) में पायलट सीएफएल परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने के लिए वर्ष के दौरान कदम उठाए गए।

IV.29 दिसंबर 2020 के अंत तक, देश में 1,478 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) थे। जहां 2019-20 (अप्रैल-मार्च) में 1,48,444 वित्तीय साक्षरता गतिविधियां की गईं, वहीं अप्रैल-दिसंबर 2020 की अवधि में एफएलसी द्वारा कुल 45,588 वित्तीय साक्षरता गतिविधियाँ संचालित की गईं। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बड़े पैमाने पर एकत्र होने पर लगे प्रतिबंध ने देश भर में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न की है। देश भर में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों के निरंतर प्रसार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने आभासी मोड के माध्यम से वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों को चलाया और वित्तीय जागरूकता संदेश फैलाने के लिए स्थानीय केबल टीवी और सामुदायिक रेडियो का लाभ उठाया।

वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका (फेम) में संशोधन

IV.30 महत्वपूर्ण बैंकिंग पहलुओं पर वित्तीय जागरूकता के लिए आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकीकृत सामग्री तैयार करने की जरूरत को समझते हुए, रिज़र्व बैंक ने 2016 में वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका विकसित की। एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और शिविरों के माध्यम से इन पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय दक्षताओं, बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के चार विषयों के 20 महत्वपूर्ण संदेशों को कवर करते हुए पुस्तिका की सामग्री को संशोधित किया गया था। संशोधित पुस्तिका 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसे व्यापक प्रसार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय शिक्षा वेबसाइट पर रखा गया है।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाना

IV.31 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) रिज़र्व बैंक की पहल है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष सघन अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर जनता/विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। 2020-21 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सप्ताह को "ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण" विषय पर 8-12 फरवरी 2021 के बीच मनाया गया था, इसमें

जिम्मेदारीपूर्ण उधारी, औपचारिक संस्थानों से उधार लेने और समय पर चुकौती करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस सप्ताह के दौरान बैंकों को सूचना का प्रसार करने और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के बारे में सूचित किया गया था। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने आम जनता के लिए इस विषय पर आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए फरवरी 2021 के दौरान एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान भी चलाया।

3. 2021-22 के लिए कार्यसूची

IV.32 विभाग बेहतर वित्तीय समावेशन और ऋण सुपुर्दगी हासिल करने के लिए *उत्कर्ष* के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा :

- एनएसएफआई 2019-24 के तहत लक्ष्यों का कार्यान्वयन;
- एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति की शेष अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- सीएफएल पर पायलट परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव आकलन सर्वेक्षण को पूरा करना; तथा
- देश भर में 3,592 ब्लॉकों को कवर करते हुए 1,199 सीएफएल स्थापित करके सीएफएल परियोजना का विस्तार; और देश भर में वित्तीय शिक्षा के स्तर को बढ़ाना।

4. निष्कर्ष

IV.33 संक्षेप में, वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने समावेश के सुधार के लिए एमएसएमई और कृषि ऋण पर आंतरिक कार्य समूह की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया और इन क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को भी बढ़ाया। इसके अलावा, पीएसएल पर संशोधित मास्टर निदेश विभिन्न अनुदेशों के सामंजस्य के लिए जारी किए गए थे। सस्ती लागत पर अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवित क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सह-ऋण की शुरुआत की गई थी, और पूरे देश को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए पायलट सीएफएल परियोजना के पैमाने की शुरुआत की गई थी। भविष्य में, एनएसएफआई दस्तावेज के तहत निर्धारित की गई सिफारिशों को लागू करना और वित्तीय साक्षरता को मजबूत करना रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे।